

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, सितम्बर 20-सितम्बर 26, 2009, शनिवार/भाद्र 29-आश्विन 4, 1931
No. 13] NEW DELHI, SEPTEMBER 20-SEPTEMBER 26, 2009, SATURDAY/BHADRA 29-ASVINA 4, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II-खण्ड 4
PART II-Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

का.नि.आ. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (वर्ग-3 और वर्ग-4) भर्ती नियम, 1970 को, जहां तक उनका संबंध लेखापरीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में लेखापरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान व होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

3362 G1/2009

(41)

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात जरूरत, आयु-सोमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सोमा
-----------	----------------	----------	-------------------------------------	------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखापरीक्षक	3878* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अनुसूचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बैंड 1 5200-20200- रुपए + 2800 रु. ग्रेड वेतन सहित	अचयन	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सामान्य श्रेणी के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक की छूट) आयु सोमा की प्रमाणिक तारीख का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा समतुल्य अर्हता	लागू नहीं	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन अपेक्षित है
--	---

(11)	(12)
(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 45 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	(i) 45 प्रतिशत उन लिपिक-सह-टंककों में से जो उस ग्रेड में न्यूनतम 13 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं।

(11)	(12)
(iii) 5 प्रतिशत स्नातक लिपिक-सह-टंककों में से उनके द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। टिप्पण : लेखापरीक्षकों की सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर की जाएगी।	(ii) 5 प्रतिशत उन स्नातक लिपिक-सह-टंककों में से जो लेखापरीक्षक पद के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। टिप्पण 1 : स्नातक लिपिक-सह-टंककों में से पदान्ति के लिए परीक्षा तभी आयोजित की जाएगी जब पर्याप्त रिक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। बोच की अवधि के दौरान स्नातक लिपिक-सह-टंककों के लिए उद्दिष्ट रिक्तियाँ न तो व्यापगत होंगी और न ही भरी जाएंगी। टिप्पण 2 : लिपिक-सह-टंकक एवं आँकड़ा प्रविष्टि परिचालक, जो अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-1 उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें उपरलिखित 45 प्रतिशत कोटे के प्रति बिना पारी के लेखापरीक्षक पद पर प्रोन्नत किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार) की संरचना :—	लागू नहीं होता।
रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय से भिन्न कार्यालयों के लिए :—	
(1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक अथवा रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक	—अध्यक्ष
(2) रक्षा लेखा उप-नियंत्रक	—सदस्य
(3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	—सदस्य
रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के लिए :—	
(1) रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशासन)/रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशासन)	—अध्यक्ष
(2) रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक	—सदस्य
(3) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	—सदस्य

[फा. सं. 9(1)/सो/2009]

अमित कौशिश, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 15th September, 2009

S.R.O. 22.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Class-III and IV) Recruitment Rules, 1970, in so far as they relate to the post of Auditor except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Auditor in the Defence Accounts Department, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person, shall be eligible for appointment to the said post:

(a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Auditor	3878* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services (Group 'C') Ministerial (Non-gazetted)	Pay Band 1 Rs. 5200-20200 plus Rs. 2800 Grade Pay	Non-selection	No	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(8)				(9)		(10)
Degree from a recognised University or equivalent qualification				Not applicable		Two years for direct recruits
Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made			
(11)			(12)			
(i) 50% by direct recruitment			(i) 45% by promotion from amongst Clerks-cum-Typists who have rendered a minimum of thirteen years regular service in the grade.			
(ii) 45% by promotion						

(11)	(12)
(iii) 5% by promotion out of graduate clerks-cum-Typists on passing the departmental examination Note : Direct Recruitment of Auditors will be made on the basis of Examination conducted by Staff Selection Commission.	(ii) 5% by promotion from amongst graduate Clerks-cum-Typists having a minimum of five years of service on passing the Departmental Examination by them in the post of Auditor. Note 1 : The Departmental Examination for promotion out of graduate Clerks-cum-Typists shall be conducted as and when sufficient number of vacancies become available. During the intervening period, vacancies earmarked for graduate clerks-cum-typists shall neither lapse nor be filled up. Note 2 : Clerks-cum-Typists and Data Entry Operators who pass Part I Subordinate Accounts Service Examination shall be promoted out of turn to the grade of Auditor, against the aforesaid 45% quota.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---

(13)	(14)
Group 'C' Department Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of : For offices other than the Controller General of Defence Accounts :— 1. Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Additional Controller of Defence Accounts or Joint Controller of Defence Accounts —Chairman 2. Deputy Controllers of Defence Accounts —Member 3. Assistant Controllers of Defence Accounts or Senior Accounts Officer —Member For the office of the Controller General of Defence Accounts :— 1. Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) or Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) —Chairman 2. Assistant Controllers General of Defence Accounts —Member 3. Senior Accounts Officer —Member	Not applicable.

[F. No. 9(1)/C/2009]

AMIT COWSHISH, Jt. Secy. and Additional Financial Advisor

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

का.नि.आ. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग (श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4) भर्ती नियम, 1970 को, जहां तक ये निम्न श्रेणी लिपिकों के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3362 9709-2

(वित्त प्रभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2012

का.नि.आ. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. का.नि.आ. सं. 22

अनुसूची के कॉलम नं. 2 में

के लिए

“3878*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है”

पढ़ा जाए

“17751*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है”

नोट : दर्शाए गए पदों में लेखापरीक्षक एवं वरिष्ठ लेखापरीक्षक की संयुक्त संख्या बल सम्मिलित है जिसमें अधिकतम 80% स्टाफ का परिचालन वरिष्ठ लेखापरीक्षक के ग्रेड में होगा।

[फा. सं. एफ 9(1)/सी/2009]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार

(FINANCE DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th October, 2012

S.R.O. 95.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the recruitment rules to the posts of Auditor in the Defence Accounts Department, 2009.

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. SRO No. 22

In column No: 2 of the schedule

For

“3878*(2009) * Subject to variation dependent on workload”

Read

“17751*(2010) * Subject to variation dependent on workload”

Note : Number of posts indicated include the combined strength of Auditor and Sr. Auditor with a maximum of 80% to be operated in Sr. Auditor grade.

[F. No. F. 9(1)/C/2009]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. & Addl. F.A

- (iii) 10% by promotion from amongst Graduate Clerk-cum-Typist and Graduate MTS on passing the Departmental Examination.

In column 12, para (i) and para (ii) may be amended as :-

(i) 40% by promotion from amongst Clerks-cum-Typist who have rendered a minimum of thirteen years regular service in the Grade.

(ii) 10% by promotion from amongst Graduate Clerk-cum-Typists and Graduate MTS having a minimum of three years of service on passing the Departmental Examination by them for the post of Auditor.

[F.No. 9(1)/C/2015]
DEVIKA RAGUVANSHI, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser

Note:- The principal rules dated the 15th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. No. 22 on the 26th day of September 2009. Subsequently a corrigendum number S.R.O. 95, dated the 30th October, 2012 was issued in the Gazette of India on 10th day of November, 2012. Further, an amendment was issued vide SRO No. 53 dated 11.08.2014 and published in the Gazette of India on 24.08.2014.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अगस्त 24—अगस्त 30, 2014, शनिवार/भाद्र 2—भाद्र 8, 1936
No. 17] NEW DELHI, AUGUST 24—AUGUST 30, 2014, SATURDAY/BHADRA 2—BHADRA 8, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2014

का.नि.आ. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) संशोधन भर्ती नियम, 2014 है।
(2) ये 26 सितम्बर, 2009 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- रक्षा लेखा विभाग, (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची के स्तम्भ 12 में, टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 3: लेखापरीक्षक की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा उन व्यक्तियों के लिए आठ वर्ष बनी रहेगी जो 26 सितम्बर, 2009 को नियमित आधार पर लिपिक-सह-टंकक का पोषक पद धारण कर रहे थे।"

स्पष्टीकारक ज्ञापन

मूल नियम भारत के राजपत्र में 26 सितम्बर, 2009 को प्रकाशित किए गए थे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/12/87-स्थापन(आरआर) तारीख 18.03.1988 के अनुसार, इस आशय का यह टिप्पण कि

पात्रता सेवा उन व्यक्तियों के लिए आठ वर्ष बनी रहेगी जिन्होंने पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण किए हुए थे, पुनरीक्षित मूल नियमों में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित था, क्योंकि पुनरीक्षित मूल नियमों में परिवर्तन पोषक श्रेणी में उन व्यक्तियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है जो मूल नियमों के प्रारंभ की तारीख को लिपिक-सह-टंकक के पद को पहले से ही धारण किए हुए थे। तथापि, इसका अनावधानता से लोप कर दिया गया था। इसलिए, भर्ती नियमों में उक्त संशोधन 26 सितम्बर, 2009 अर्थात् मूल नियमों के प्रारंभ की तारीख से किया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने से, सेवा में किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 9(1)/सी/2014]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम तारीख 15 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. सं. 22 तारीख 26 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् शुद्धिपत्र सं. का.नि.आ. 95, तारीख 30 अक्टूबर, 2012 भारत के राजपत्र में 10 नवम्बर, 2012 को जारी किया गया था।

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 11th August, 2014

S.R.O. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Accounts Department, (Auditor) Amendment Recruitment Rules, 2014.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 26th day of September, 2009.

2. In the Schedule to the Defence Accounts Department, (Auditor) Recruitment Rules, 2009, in column 12, after Note 2, the following Note shall be inserted, namely :—

“Note 3: The eligibility service for promotion to the grade of Auditor shall continue to be eight years for persons holding the feeder post of Clerk-cum-Typist on regular basis as on the 26th day of September, 2009.”

EXPLANATORY MEMORANDUM

The principal rules were published on 26th day of September, 2009 in the Gazette of India. As per DOPT OM No. AB-14017/12/87-Estt. (RR) dated 18.3.1988, a note to the effect that the eligibility service shall continue to be eight years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules was required to be included in the revised principal rules, since the change in the revised principal rules is affecting adversely the persons in the feeder grade who were already holding the post of Clerk-cum-Typist on the date of commencement of the principal rules. However, inadvertently the same was omitted. Hence the above amendment in the recruitment rules is being made effective from 26th day of September, 2009 i.e. the date of commencement of the principal rules. It is hereby certified that by giving retrospective effect to this rule, no one in the service will be affected adversely.

[F. No. 9(1)/C/2014]

VEENA PRASAD, Jr. Secy. and Addl. Financial Adviser

Note:—The principal rules dated the 15th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 22 on the 26th day of September 2009. Subsequently a corrigendum number S.R.O. 95, dated the 30th October, 2012 was issued in the Gazette of India on 10th day of November, 2012.

(वित्त विभाग)

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

का.नि.आ. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) दूसरा संशोधन भर्ती नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. रक्षा लेखा विभाग, (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची के स्तम्भ 11 में, पैरा (I), (II), (III) इस प्रकार संशोधित किए जाते हैं:-
(I) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
(II) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
(III) 10 प्रतिशत उन छातक लिपिक-सह-टंककों और छातक एम.टी.एस. कर्मचारियों में से जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

स्तम्भ 12 में, पैरा (I), पैरा (II) इस प्रकार संशोधित किए जाते हैं:-

- (I) 40 प्रतिशत उन लिपिक-सह-टंककों में से जो उस ग्रेड में न्यूनतम 13 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं।
- (II) 10 प्रतिशत उन छातक लिपिक-सह-टंककों और छातक एम.टी.एस. कर्मचारियों में से जो लेखापरीक्षक पद के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं।

[एफ. सं. 9(1)/सी/2015]

देविका रघुवंशी, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम तारीख 15 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. सं. 22 तारीख 26 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चांत शुद्धिपत्र सं. का.नि.आ. 95, तारीख 30 अक्टूबर, 2012 भारत के राजपत्र में 10 नवम्बर, 2012 को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक संशोधन का.नि.आ. सं. 53 तारीख 11.08.2014 द्वारा जारी किया गया था और भारत के राजपत्र में 24 अगस्त, 2014 को प्रकाशित किया गया था।

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 3rd May, 2016

S.R.O.23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2009, namely :-

1. (1) These rules may be called the Defence Accounts Department, (Auditor) second Amendment Recruitment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Defence Accounts Department, (Auditor) Recruitment Rules, 2009, in column 11 para (i), (ii), (iii) may be amended as :-

- (i) 50% by direct Recruitment
- (ii) 40% by promotion

- (iii) 10% by promotion from amongst Graduate Clerk-cum-Typist and Graduate MTS on passing the Departmental Examination.

In column 12, para (i) and para (ii) may be amended as :-

- (i) 40% by promotion from amongst Clerks-cum-Typist who have rendered a minimum of thirteen years regular service in the Grade.

- (ii) 10% by promotion from amongst Graduate Clerk-cum-Typists and Graduate MTS having a minimum of three years of service on passing the Departmental Examination by them for the post of Auditor.

[F.No. 9(1)/C/2015]

DEVIKA RAGUVANSHI, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser

Note:- The principal rules dated the 15th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. No. 22 on the 26th day of September 2009. Subsequently a corrigendum number S.R.O. 95, dated the 30th October, 2012 was issued in the Gazette of India on 10th day of November, 2012. Further, an amendment was issued vide SRO No. 53 dated 11.08.2014 and published in the Gazette of India on 24.08.2014.

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

का.नि.आ. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती(संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 में,-

(i) नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर — उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, को इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भों (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा"

(ii) अनुसूची में,-

(क) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 5
(29200-92300 रु.)";

[फा. सं. 9(3)/सी/2017]

आर. के. कर्ण, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम तारीख 15 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. सं. 22 द्वारा तारीख 26 सितम्बर, 2009 को प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचना, भारत के राजपत्र का.नि.आ. 95, तारीख 30 अक्तूबर, 2012 द्वारा जारी की गई जिसे भारत के राजपत्र में तारीख 10 नवंबर, 2012 को प्रकाशित किया गया था, का.नि.आ. सं. 53 तारीख 11 अगस्त, 2014 भारत के राजपत्र में तारीख 24 अगस्त, 2014 को प्रकाशित किया गया था और का.नि.आ. 23 तारीख 3 मई, 2016 भारत के राजपत्र में तारीख 21 मई, 2016 को प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 19th May, 2018

S.R.O. 29.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2009, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2009,-

(i) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules".

(ii) in the Schedule:-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 5
(Rs.29200-92300)";

[F. No. 9(3)/C/2017]

R. K. KARNA, Addl. Financial Advisor and Jt. Secy.

Note : The principal rules dated the 15th September, 2009 were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 22 on the 26th day of September, 2009. Subsequently amended vide notification S.R.O. 95, dated the 30th October, 2012 published in the Gazette of India on 10th day of November, 2012, S.R.O. 53 dated the 11th August, 2014 published in Gazette of India on dated the 24th day of August, 2014, S.R.O.23 dated the 3rd May, 2016 published in Gazette of India on dated the 21st May, 2016.

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

का.नि.आ. 30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 में, (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वह होंगे, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

- उक्त नियमों, की अनुसूची के, स्तम्भ (4) के स्तम्भ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक, स्तम्भ और प्रविष्टियां स्तम्भ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 4
(25500-81100 रु.)"

[फ़ा. सं. 9(9)/सी/2017]

आर. के. कर्ण, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 तारीख 06 मई, 2011 में का.नि.आ. सं. 33, तारीख 21 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th May, 2018

S.R.O. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2011, namely :-